उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

रिट याचिका (एस/एस) संख्या–2373/2015

विनोद कुमार लोहुमी ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

उपस्थित :
श्री आलोक मेहरा, अधिवक्ता – याचिकाकर्ता की ओर से।
श्रीमती इन्दु शर्मा – उत्तराखण्ड राज्य की ओर से प्रतिनिधि।
श्री एन0एस0 पुण्डीर, अधिवक्ता – प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से।
श्री ए0एस0 रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता – प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से।

निर्णय

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे0

इस न्यायालय के द्वारा इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इस न्यायालय का विचार है कि मौजूदा याचिका की कार्यवाही के पक्षों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने से पहले अधिनियम, नियमों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के विधायी प्रभाव की कुछ पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना आवश्यक है।

2. अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 कहा गया, जिसे राज्य द्वारा लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया और इसकी अधिसूचना दिनांक–04.08.1964 को जारी की गयी।

3. उक्त अधिनियम की धारा 26–A के तहत संबंधित कृषि उत्पादन मंडी समिति के कामकाज पर नियंत्रण के लिए तौर–तरीके निर्धारित किये गये हैं और उक्त उद्देश्य के लिए बाहरी नियंत्रण के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय–5 के अधीन उपबन्ध अन्तर्विष्ट किये गये हैं और मूल रूप से अधिनियम की धारा 26–A के तहत राज्य के द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर एक बोर्ड गठित किया जाना प्रावधानित किया गया है जिसे उक्त अधिनियम से सम्बन्धित सभी मामलों के निपटारे के सम्बन्ध में एक निगमित निकाय और स्थाई उत्तराधिकार वाले शीर्ष निकाय का दर्जा दिया गया है। जो हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है, वह यह है

कि उक्त अधिनियम की धारा 26–G के तहत बोर्ड के कामकाज और उसके सामान्य नियंत्रण के लिए एक शक्ति प्रदान की गयी है और जो उक्त मण्डी समिति के निदेशक के पास विधि अनुसार विशेष रूप से निहित की गयी है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–2(h) के तहत परिभाषित किया गया है।

4. 1964 के अधिनियम की धारा 26–X के अधीन, जो मूल उपबंध हैं वह हमारे लिए अधिक महत्व रखता है, जो एक ऐसी शक्ति है, जो धारा 26–A के तहत गठित बोर्ड के पास विशेष रूप से निहित है, जिसे धारा–2 (a–1) के तहत दी गयी परिभाषा अनुसार बोर्ड के रूप में पढ़ा जाएगा। इसमें यह प्रावधान है कि बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड के मामलों और उसके कर्मचारियों के कामकाज पर अपने सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण के प्रयोग के संबंध में विनियम बना सकता है। तदनुसार कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 26–A और धारा 26–X के अनुरूप शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित करते हुए बोर्ड ने सेवा नियम तैयार किए हैं, जो मंडी समिति के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करेंगे।

5. इस प्रकार धारा 26–X के अधीन अधिसूचित नियमों में मंडी के कर्मचारी की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न तौर–तरीकों का प्रावधान है और विशेष रूप से, जिस पहलू से हम वर्तमान रिट याचिका में संबंधित होंगे, वह प्रत्यक्ष और पदोन्नति भर्ती की प्रक्रिया होगी, जैसा कि 1964 के नियमों के भाग–III के तहत विचार किया गया है, जिसकी प्रयोज्यता एक तथ्य नहीं है, जो मौजूदा रिट याचिका की कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष द्वारा विवादित है।

6. विशेष रूप से, इस मामले के अधिनिर्णयन के उद्देश्यों के लिए, विनियमन उत्तर प्रदेश कृषि उपज बाजार समिति (केंद्रीकृत) सेवा विनियमन, 1984 का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है, जिसमें भर्ती के स्रोत के प्रावधानों का उल्लेख है और जिसमें विभिन्न स्रोतों से भर्ती के अनुपात दिए गए हैं, जो नियम 13 के तहत प्रदान की गई अनुसूची में निहित विभिन्न श्रेणियों के पदों के उपलब्ध पदों को भरने के उद्देश्यों के लिए दिए गए हैं, कि कितने प्रतिशत और किस हद तक पदोन्नति या सीधी भर्ती के माध्यम से सम्बन्धित पद भरे जा सकते हैं। सम्बन्धित नियम–13 का प्रावधान निम्नवत है –

13. कोटा– (1) उप–नियम (2) में पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती के प्रावधान सेवा के संवर्ग स्रोत से और नीचे बताए गए अनुपात में बनाए जाएंगे:–

पद का नाम	भर्ती का स्रोत और तरीका	प्रतिशत प्रतिशत
1. सचिव ग्रेड IV	सीधी भर्ती	100
2. सचिव ग्रेड–III	सचिव ग्रेड IV की पदोन्नति द्वारा, जिसने भर्ती के वर्ष से कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा (तदर्थ आधार तदर्थ सेवा नहीं) की है। मंडी के पर्यवेक्षक की पदोन्नति द्वारा जिसने भर्ती के वर्ष से कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा (तदर्थ आधार तदर्थ सेवा नहीं) की है।	75 25
3. सचिव ग्रेड–II	सचिव ग्रेड III की पदोन्नति द्वारा, जिसने कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा की है (तदर्थ आधार पर सेवा नहीं) भर्ती के वर्ष के पहले दिन।	100
4. सचिव ग्रेड–I	सीधी भर्ती द्वारा सचिव ग्रेड II की पदोन्नति द्वारा, जिसने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा की है (तदर्थ आधार तदर्थ सेवा नहीं)	50 50
....	....	....

7. नियम–13 के अनुसार, स्पष्ट रूप से सचिवों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती का स्रोत, जो मंडी समिति के साथ काम करेंगे, सचिव, ग्रेड–II के पद को 100 प्रतिशत पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे केवल कर्मचारियों के फीडिंग कैडर से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है, यानी सचिव ग्रेड–III और मंडी पर्यवेक्षक, जिन्होंने नियमित आधार पर कम से कम पांच साल की निरंतर सेवा दी है।

8. जहां तक सचिवों की अन्य दो श्रेणियों का संबंध है, जैसा कि 1984 के नियमों के तहत कवर किया गया है, सचिव, ग्रेड–I के पद को भर्ती के दो स्रोतों, में विभाजित किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से निर्धारित है।

9. सचिव ग्रेड–I के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए, फीडिंग कैडर इन पात्र उम्मीदवारों में से सचिव, ग्रेड–II का है, जो फीडिंग कैडर पर काम करने के बाद पांच साल की निरंतर सेवा कर रहे थे और शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों के मुकाबले सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया था, जो भर्ती के वर्ष की पहली तारीख को उपलब्ध था, जैसा कि 1984 के नियमों के तहत परिभाषित किया गया था।

10. तत्काल मामले में भर्ती का वर्ष, विचार करने के लिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यह उन पहलुओं में से एक होगा, जिन पर याचिकाकर्ता ने पदोन्नति से वंचित होने के कारण जोर दिया है, जो सचिव, ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अभाव में उसके सामने था। भर्ती के वर्ष की परिभाषा के अनुसार जैसा कि विनियम 1984 की धारा–3 की उपधारा–(P) के तहत उपबन्धित किया गया है, 12 माह उस पंचांग वर्ष के 1 जुलाई के दिन से प्रारम्भ होंगे।

11. उत्तराखंड राज्य भारत सरकार की राजपत्र की अधिसूचना दिनांकित–09.11.2000 के आधार पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 के प्रवर्तन के आधार पर अस्तित्व में आया है, जिस कारण उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–87 के प्रावधान अनुसार उत्तर प्रदेश कृषि मंडी समिति अधिनियम, 1964 का उत्तराखंड राज्य के द्विभाजित और नवनिर्मित क्षेत्र में लागू होना जारी रहा।

12. समय के साथ उत्तराखंड राज्य के द्वारा उत्तराखंड कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2011 नामक अपना अधिनियम तैयार कर अधिसूचित किया गया, जिसे उत्तराखंड अधिनियम संख्या–9 वर्ष 2011 कहा गया।

13. उक्त अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, 2011 के अधिनियम की धारा–93 के तहत अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और लागू करने के उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास निहित थी, और जहां तक धारा–95 के तहत पूर्व के अधिनियम को निरसित किये जाने का सम्बन्ध है, तो ऐसे निरसन के होते हुए भी वर्ष 1964 के उक्त अधिनियम के अधीन रहते हुए बनाये गये अधीनस्थ विधानों पर निरसन का कोई असर नहीं होगा और कोई बात या कार्यवाही उक्त अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी और 1964 के अधिनियम के रद्द करने का कोई असर नहीं होगा। राज्य द्वारा प्रतिस्थापित, 2011 के अधिनियम की धारा–93 के तहत दिए गए विषय पर अपने नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे धारा–95 के साथ पढ़ा जायेगा।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनियम के तहत गठित विभिन्न मंडी समितियों के प्रबंधन को विपणन समिति द्वारा विनियमित किया जा रहा है, जिसे आम तौर पर ''कृषि उपज विपणन समिति'' के रूप में नामित किया जाता है, (इसके बाद इसे एपीएमसी कहा जाएगा)।

15. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे मंडी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था, जो तब 1984 के नियमों के नियम 13 का प्रारंभिक कैडर था, जिसके आधार पर, याचिकाकर्ता को नियमित चयन प्रक्रिया के आधार पर मंडी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 23 सितंबर, 1987 के आदेश द्वारा उसे नियमित नियुक्ति प्रदान की गई थी और उक्त आदेश विनियमन 1984 के विनियम 9 के तहत सक्षम प्राधिकारी उपनिदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता दिनांक–7 अक्टूबर, 1987 को एपीएमसी, रुद्रपुर में शामिल हुआ और उक्त क्षमता में संतोषजनक रूप से काम कर रहा था।

16. पुनर्गठन अधिनियम के प्रवर्तन के साथ, याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड राज्य में मंडी समिति को अपनी सेवाओं के आवंटन का विकल्प चुना था और इसके

परिणामस्वरूप उसे एपीएमसी, रुद्रपुर आवंटित किया गया था और तद्नुसार उसने दिनांक–14 मई, 2001 से उक्त एपीएमसी में कार्य करना शुरू किया था।

17. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि विभिन्न स्तर के सचिवों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, जैसा कि नियमावली 1984 के नियमों के नियम 13 के तहत प्रावधानित किया गया है, राज्य सचिव (कार्मिक) द्वारा जारी 23 जून, 2003 के सरकारी आदेश के तहत निहित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिस्थापित की जानी चाहिए थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि भर्ती की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करने के लिए, प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए एक बार डीपीसी आयोजित की जानी चाहिए और आगामी भर्ती में सृजित होने वाली सभी अग्रिम रिक्तियों को डीपीसी के उद्देश्यों के लिए, नियमावली 1984 के नियमों के नियम 13 के तहत उपलब्ध और वर्गीकृत पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए संयुक्त रूप से ध्यान में लिया जाना चाहिए।

18. याचिकाकर्ता का तर्क है कि 7 अक्टूबर, 1987 को सेवा में शामिल होने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता पांच वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक रूप से कार्य करने पर सचिव ग्रेड–III के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले क्षेत्र के भीतर आ जाएगा और उसके अनुसार, वह वर्ष 1992 में भर्ती के अपने प्रारंभिक वर्ष के अनुसार, फीडिंग कैडर में सचिव ग्रेड–III के लिए पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य हो जाएगा।

19. याचिकाकर्ता का कथन है कि इस तथ्य के कारण, कि भर्ती के वर्ष में, जब याचिकाकर्ता ने सचिव ग्रेड–III के रूप में पदोन्नत होने की अपनी पात्रता प्राप्त कर ली है, सचिव ग्रेड–III पद पर उसकी पदोन्नति के लिए सचिव ग्रेड–III का कोई पद रिक्त न होने के कारण उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया था।

20. याचिकाकर्ता का कथन है कि उत्तराखण्ड राज्य में काम करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के परिणामस्वरूप, सेवाओं के विलय तक उक्त स्थिति बनी रही। जब 2001–02 के पूर्वोक्त भर्ती वर्ष के लिए, सचिव, ग्रेड–III के नौ रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना था, जो नियम 13 के अनुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाले पद थे।

21. लेकिन, हालांकि, पदोन्नति के लिए कुल उपलब्ध नौ रिक्तियों के मुकाबले, रिक्तियों में से एक, जिसे भर्ती वर्ष 2001–02 में उपलब्ध कराया गया था, वह रिक्ति थी, जो एक श्री पी0एन0 सक्सैना की सेवानिवृत्ति के कारण खाली हो गई थी। लेकिन कुछ कारणों से जो प्रत्यर्थीगण ही जानते हैं, याचिकाकर्ता के कथनानुसार प्रत्यर्थी नम्बर–2 ने सचिव, ग्रेड–III के कुल उपलब्ध पदोन्नति रिक्तियों के मुकाबले केवल सात व्यक्तियों को पदोन्नत करने के लिए प्रक्रिया अपनायी और दो पदों को भरने के लिए खाली रखा गया था, जिनमें से एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए उपलब्ध था, जिसके लिए याची दावा रखता है और जहां तक दूसरी रिक्ति, जिसे भरा नहीं जाना था, क्योंकि यह आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के लिए थी, उक्त आरक्षित पद पर याची ने कोई दावा नहीं किया है जिसे अन्यथा सचिव ग्रेड–III के रूप में पदोन्नति के माध्यम से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से भरा जाना था।

22. प्रारम्भ में याचिकाकर्ता की पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को वर्ष 1992 में विचार में लिया जाना चाहिए था परन्तु पद रिक्त न होने के कारण ऐसा नहीं किया गया। परन्तु बाद में वर्ष 2001–2002 में भी, जबकि पदोन्नति के लिए पद रिक्त था और पदोन्नति किये जाने के लिए याचिकाकर्ता उपलब्ध था, प्रत्यर्थीगण के द्वारा किन्हीं कारणों से, जो प्रत्यर्थीगण ही जानते हैं, याचिकाकर्ता के पदोन्नति के दावे पर सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध सचिव ग्रेड–III के पद के लिए विचार नहीं किया गया।

23. याचिकाकर्ता का दलील है कि उसकी पदोन्नति, जो 2005 में की गई थी, वास्तव में, उक्त रिक्ति के खिलाफ थी, जो एक श्री पी0एन0 सक्सैना की सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी। यह वह रिक्ति थी जो भर्ती वर्ष 2001–02 में भी उपलब्ध थी और इसलिए, याचिकाकर्ता की विलंबित पदोन्नति, जो कि उसे 14 फरवरी, 2005 को दी गई थी, की गणना भर्ती के वर्ष की तारीख से की जानी चाहिए थी, जब रिक्ति हुई है और याचिकाकर्ता सचिव, ग्रेड–III के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र पाया गया था।

24. अपनी दलील की पुष्टि करने के लिए, हालांकि यह प्रासंगिक नहीं है, याचिकाकर्ता के द्वारा कथन किया गया है कि मंडी समिति का कामकाज, जैसा कि 1964 के अधिनियम द्वारा गठित किया गया था और बाद में उत्तराखण्ड अधिनियम 2011 द्वारा अधिनियमित किया गया था, भारत के संविधान की अनुसूची 7 की

लिस्ट–2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डी का कार्य एक राजकीय कार्य है, जहां राज्य को राज्य के भीतर कृषि उपज के मामलों को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए मंडी समिति के गठन के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है, और इसलिए, राज्य स्तर के अधिकारी को मंडी समिति के मामलों के शीर्ष के नियंत्रण में रखा गया है, जो एक आईएएस अधिकारी है, जिसे राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करता है और प्रत्येक मंडी समिति के महाप्रबंधक राज्य स्तर के सिविल सेवा अधिकारी होते हैं और प्रत्येक मंडी समिति के वित्त विभाग का विनियमन राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो राज्य की वित्त सेवाओं से संबंधित होते हैं।

25. याचिकाकर्ता के द्वारा कथन किया गया है कि यद्यपि उसे दिनांक–14.02.2005 से सचिव ग्रेड–III के पद पर पदोन्नत किया गया है लेकिन उसे वर्ष 2001–2002 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है और सरकारी आदेश दिनांकित–23.06.2003 के माध्यम से की गयी पदोन्नति की प्रक्रिया के माध्यम से याचिकाकर्ता को दिनांक–14.02.2005 के बजाय सचिव ग्रेड–III के पद पर भर्ती के वर्ष 2001–2002 से पदोन्नत किया जाना चाहिए था, हालांकि उक्त दावा वर्तमान याचिका के निस्तारण के लिए अत्यन्त महत्व का नहीं है।

26. याचिकाकर्ता का कथन है कि प्रत्यर्थीगण ने सचिव ग्रेड–III के रूप में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर देर से विचार करते हुए नियमावली 1984 के नियम 14 का उल्लंघन करते हुए कानूनन गलती की है, क्योंकि पदोन्नति का टुकड़ों में प्रयोग विधिसंगत नहीं था। विशेष रूप से, क्योंकि प्रत्यर्थीगण के द्वारा वर्ष 2001–2002 में पदोन्नति के लिए उपलब्ध 09 रिक्त पदों में से 06 को भरने के लिए प्रक्रिया की गयी थी परन्तु ऐसी कोई विधिक बाधा या कोई उचित कारण नहीं था कि उनके द्वारा 02 रिक्त पदों को पदोन्नति से क्यों नहीं भरा गया था, जो कि पदोन्नति के माध्यम से भरे जा सकते थे।

27. याचिकाकर्ता की दलील है कि यदि याचिकाकर्ता को भी अन्य उपयुक्त उम्मीदवारों के साथ सचिव ग्रेड–III के पद पर प्रमोशन के लिए विचार में लिया गया होता, जिन्हें 03 जून, 2002 से पदोन्नत किया गया है, तो याचिकाकर्ता भी नियम–13 के तहत सचिव ग्रेड–III के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य दावेदार हो

सकता था क्योंकि सचिव ग्रेड–III का पद 100 प्रतिशत तौर पर प्रमोशन के माध्यम से भरे जाने वाला पद था।

28. इसलिए याचिकाकर्ता की दलील है कि पदोन्नति के लिए उसकी पात्रता दिनांक–14.02.2005 के बजाय, जबकि उसे वास्तविक रूप से सचिव ग्रेड–III के पद पर पदोन्नति दी गयी है, दिनांक–03.06.2002 की पात्रता के आधार पर विचार में ली जानी चाहिए थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को उसी रिक्त पद पर पदोन्नति दी गयी है जो कि वर्ष 2002 में भी पदोन्नति के लिए उपलब्ध था और उसे उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित भर्ती वर्ष के तहत निर्धारित पदोन्नति प्रक्रिया के अनुसार सचिव ग्रेड–III के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था।

29. नियमों के अनुसार, जिनको पूर्व में अवलोकित किया जा चुका है, सचिव ग्रेड–II का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाला पद है और उक्त कानूनी प्रावधान पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है कि सचिव ग्रेड–II का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाला पद है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 26–X के तहत प्रावधानित किया गया है।

30. प्रत्यर्थीगण के द्वारा पदों के लिए विज्ञप्ति संख्या–01/2003 जारी की गयी, जिनका नियमावली 1984 के नियम 13 के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जाना अभिकथित था और 02 पद नियम 13 के अनुसार सचिव ग्रेड–I के पद के लिए, 02 रिक्तियों को भरने के लिए खाली छोड़ दिये गये थे, जो अन्यथा कैडर के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए उपलब्ध थे और 09 रिक्तियों को नियमावली 1984 के नियम 13 के तहत निर्धारित सीधी भर्ती के कोटे के अनुसार सचिव ग्रेड–III में सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए विज्ञापित किया गया था।

31. परन्तु चयन प्रक्रिया में अन्तिमतः अभ्यर्थी संख्या–3 के द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2003 के विरूद्ध सीधी भर्ती के लिए उदाहरणतः सचिव ग्रेड–II व सचिव ग्रेड–III के पद पर उम्मीदवारी प्रस्तुत की गयी। उसके द्वारा उसके प्रार्थना पत्र में यह तथ्य सही अंकित किया गया है कि वह सचिव ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किये जाने लायक आवेदक नहीं हो सकता था क्योंकि

नियमावली, 1984 के नियम 13 के अनुसार उक्त पद ऐसा पद नहीं था जिसे कि सीधी भर्ती से भरने के लिए निर्देशित किया जा सकता था।

32. प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा पदोन्नति चयन प्रक्रिया में भाग लिया गया था और उसे सचिव ग्रेड–I के रूप में चयनित किया गया था और उसे नियमावली, 1984 के नियमों के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से सचिव ग्रेड–II के पद के लिए भी पात्र पाया गया था।

33. लेकिन प्रत्यर्थीगण के द्वारा किन्हीं कारणों से, जो उन्हें ही ज्ञात हैं, दिनांक–07.07.2006 को और दिनांक–24.08.2006 को प्रत्यर्थी संख्या–3 के चयनित घोषित किये जाने के बाद सचिव ग्रेड–II व सचिव ग्रेड–III के लिए आयोजित साक्षात्कार में प्रतिभाग करने हेतु एक कॉल लेटर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जारी किया गया था।

34. अन्तिमतः चयन प्रक्रिया में दिनांक–23.10.2006 को सचिव ग्रेड–I के 02 पद, जिन्हें विज्ञप्ति संख्या–01/2003 के माध्यम से विज्ञापित किया गया था, का परिणाम, किन्हीं कारणों से जो कि प्रत्यर्थीगण को ही ज्ञात है, घोषित करने से रोक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या–336/2006 प्रस्तुत की गयी, जिस पर उच्च न्यायालय के दो न्यायमूर्तिगण की खण्ड पीठ के द्वारा विचार किया गया और उक्त याचिका के संस्थित किये जाने के प्रारम्भिक स्तर पर ही इस आशय का आदेश पारित किया गया कि चूंकि विज्ञप्ति वर्ष 2003 सीधी भर्ती से सचिव ग्रेड–I और सचिव ग्रेड–III के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने से सम्बन्धित है इसलिए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 के सचिव ग्रेड–I के अधिकार को प्रभावित किये बिना प्रत्यर्थी संख्या–3 को सचिव ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति के लिये नियुक्ति पत्र जारी किया जाये।

उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के द्वारा पारित आदेश दिनांकित–23.11.2006 का सुसंगत पैरा निम्नवत है –

> ''प्रत्यर्थीगण 02 सप्ताह के भीतर प्रति शपथपत्र दाखिल कर सकते हैं।
>
> प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता श्री जे0सी0 बेलवाल के द्वारा इंगित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने सचिव ग्रेड–III के पद

के लिए कहा है लेकिन सचिव ग्रेड–III पद पर नियुक्ति हेतु अभी तक कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को उक्त नियुक्ति पत्र जारी करने में प्रत्यर्थी संख्या–2 को कोई आपत्ति नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि याचिकाकर्ता ने सचिव ग्रेड–I के पद के लिए भी अर्हता प्राप्त की है।

प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता के सचिव ग्रेड–I के पद की दावेदारी के अधिकारी को प्रभावित किये बिना याचिकाकर्ता की सचिव ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र जारी करे।''

35. अन्तरिम आदेश दिनांकित–23.11.2006 के आलोक में प्रत्यर्थी संख्या–3 को आदेश दिनांकित–07.12.2006 के माध्यम से नियुक्त किया गया और प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा सचिव ग्रेड–III के पद का पदभार दिनांक–26.12.2006 को ग्रहण किया गया और तद्नुसार कार्य करना प्रारम्भ किया गया।

36. वास्तव में दिनांक–23.11.2006 के अन्तरिम आदेश के जवाब में जब प्रत्यर्थी संख्या–3 ने नियुक्त होने के लिए अपनी उम्मीदवारी स्वेच्छा से स्वीकार कर ली थी और उसे पदभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी गयी थी, उसके बाद, जैसा कि ऊपर दिया गया है, प्रत्यर्थी संख्या–3 के पास कोई अवसर नहीं है कि अपनी नियुक्ति सचिव ग्रेड–III के पद पर स्वीकार करने के बाद वह अपनी नियुक्ति सचिव ग्रेड–II में परिवर्तित करे और वह भी वर्ष 1984 की नियमावली के नियम–13 के आत्यंतिक उल्लंघन में, जिसमें सचिव ग्रेड–II के पद को 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाले पद के रूप में रखा गया है।

37. याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा बाद में पारित आदेश दिनांकित–29 दिसंबर, 2006 प्रत्यक्ष रूप से वर्ष 1984 की नियमावली के नियम 13 के निहित प्रावधान के उल्लंघन में है और इसके पीछे तर्क यह है कि :–

i. जब विज्ञापन स्वयं सचिव, ग्रेड–I और सचिव, ग्रेड–III के पद के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित था, तो पद को भरने के लिए पद पर नियुक्ति के लिए कोई बदलाव नहीं हो सकता था, जो कि अन्यथा वर्ष 1984 की नियमावली के

नियम 13 के अनुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के लिए उपलब्ध है।

ii. प्रत्यर्थी संख्या–3 की नियुक्ति उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के द्वारा पारित आदेश के बाद नियुक्ति आदेश में परिवर्तन करके दिनांक–23.12.2006 को सचिव ग्रेड–III के रूप में बिना शर्त स्वीकार कर लेने के बाद प्रत्यर्थीगण के पास ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं है कि वे प्रत्यर्थी संख्या–3 की नियुक्ति की प्रकृति में कुछ ही दिनों के बाद दिनांक–29.12.2006 के माध्यम से सचिव ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति देने के बाद उसमें कोई फेर बदल करे और ऐसा करना नियमावली, 1984 के नियमों के विपरीत है।

iii. याचिकाकर्ता का कथन है कि सचिव ग्रेड–II का पद, जो कि याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध होने वाला अगला पद है, 100 प्रतिशत तौर पर पदोन्नति से भरे जाने वाला पद है और यदि उक्त पद को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति दी जाती है तो यह याचिकाकर्ता के अधिकार के प्रतिकूल होगा और यह नियमावली, 1984 के नियम–13 के भी विपरीत होगा।

iv. याचिकाकर्ता का कथन है कि दिनांक–29 दिसंबर, 2006 के आदेश के कारण, याचिकाकर्ता का पदोन्नति का अधिकार प्रभावित हुआ है क्योंकि सचिव ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति से भरी जाने वाले रिक्त पद को सीधी भर्ती से भरकर कब्जा किया गया है, जिस कारण पदोन्नति के लिए पद की रिक्तता प्रभावित होने के कारण याचिकाकर्ता के पदोन्नति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

38. याचिकाकर्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 चूंकि स्वयं सचिव, ग्रेड–I और सचिव, ग्रेड–III के रूप में सीधी भर्ती के लिए विचार किए जाने वाले आवेदक थे, इसलिए उसे नियमावली, 1984 के नियमों के विपरीत सचिव, ग्रेड–II के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

39. तद्नुसार, और विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या–3 के अन्तरिम आदेश दिनांकित–23 नवंबर, 2006 के अनुसरण में सचिव, ग्रेड–III के रूप में नियुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, रिट याचिका, जिसमें याचिकाकर्ता के द्वारा विज्ञप्ति संख्या–01/2003 के माध्यम से विज्ञापित सचिव ग्रेड–I के पद को नहीं भरने के प्रत्यर्थीगण के कार्य पर प्रश्न उठाये थे, उक्त याचिका को गुणदोष के आधार पर निर्णित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा बल नहीं दिया गया और प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा संतुष्ट होने के बाद और सचिव ग्रेड–III के रूप में नियुक्त होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या–3 की उक्त रिट याचिका दिनांक–22.02.2007 को वापस लिये जाने के आधार पर खारिज की गयी और प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा सचिव ग्रेड–I के पद पर नियुक्ति के उसके मुख्य अनुतोष पर कोई बल नहीं दिया गया, जिसके लिए प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा विज्ञप्ति दिनांकित–01.11.2003 के अनुसरण में आवेदन किया गया था और जिसके लिए प्रत्यर्थी संख्या–3 का घोषित परिणाम दिनांकित–23.10.2006 अनुसार चयन किया गया था।

40. उक्त स्थिति में निर्णय दिनांकित–22 फरवरी, 2007 का प्रभाव, जहां प्रत्यर्थी संख्या–3 की रिट याचिका वापस लिये जाने के आधार पर खारिज की गयी है, से यह अर्थ निकलता है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा उक्त रिट याचिका के सम्बन्ध में सचिव ग्रेड–I के तौर पर नियुक्ति पाने के लिए न्यायिक पक्ष से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया है और याचिका संख्या–336/2006 के वापस लिये जाने के परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया जायेगा कि प्रत्यर्थी संख्या–3 दिनांक–22.12.2006 को सचिव ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति से और विशेष रूप से रिट याचिका के दिनांक–22.02.2007 को वापस लिये जाने के परिणाम से सन्तुष्ट था।

41. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए रिट याचिका प्रस्तुत की है –

> ''i) प्रत्यर्थी संख्या–3 के सीधी भर्ती के माध्यम से सचिव ग्रेड–II के पद पर की गयी नियुक्ति, जो 100 प्रतिशत तौर पर पदोन्नति से भरी जानी थी, को मनमाना और अवैध घोषित किया जाये।

ii) अभिलेखों को मंगाने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का आदेश या निर्देश जारी हो और प्रत्यर्थी संख्या–3 को सचिव ग्रेड–II के पद पर सेवा सम्बन्धी नियमों के विपरीत दी गयी नियुक्ति निरस्त की जाये।

iii) प्रत्यर्थी संख्या–3 को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले सचिव ग्रेड–I या सचिव ग्रेड–III के उचित पद पर, नियुक्ति प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या–2 को परमादेश की प्रकृति का आदेश या निर्देश जारी हो।

iv) याचिकाकर्ता को सचिव ग्रेड–III के पद पर नोशनली दिनांक–03.06.2002 से या किसी भी कीमत पर दिनांक–30.06.2002 से पदोन्नत करने के लिए और सचिव ग्रेड–II के पद पर सभी परिणामी लाभ सहित नोशनली पदोन्नत करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या–2 को परमादेश रिट की प्रकृति का आदेश या निर्देश जारी हो।

v) याचिकाकर्ता को सचिव ग्रेड–I के पद पर सभी परिणामी लाभ सहित दिनांक–01.07.2012 से नोशनली पदोन्नत करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या–2 को परमादेश रिट की प्रकृति का आदेश या निर्देश जारी हो।

vi) अन्य कोई रिट आदेश या निर्देश जारी करें जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।

vii) रिट याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को दिलाया जाये।''

42. संक्षेप में याचिकाकर्ता के रिट याचिका के कथन यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या–2 अपने विवेक से सचिव ग्रेड–II के पद को परिवर्तित नहीं कर सकता था जो कि उक्त अधिनियम के तहत 100 प्रतिशत तौर पर पदोन्नति से भरे जाने वाला पद था, जिसे सीधी भर्ती प्रक्रिया से भरा जाना था, जिसे अन्यथा सचिव ग्रेड–I या सचिव ग्रेड–III के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरने के लिए पेश किया गया था और प्रत्यर्थीगण का उक्त कार्य सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों और

विशेष रूप से नियमावली, 1984 के नियमों के विरूद्ध है, जिस अधिनियम को उत्तराखण्ड अधिनियम, 2011 के तहत लागू करने के लिए संरक्षित किया गया है।

43. याचिकाकर्ता का कथन है कि सचिव ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति के अवसर, क्योंकि इसके दायरे बहुत सीमित हैं, सचिव, ग्रेड–II के पहले से काम करने की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्तियों के सृजन के आधार पर, यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है, जो एक कर्मचारी के लिए सचिव, ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति के लिए उपलब्ध है और वह भी केवल रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन है, और यदि सचिव ग्रेड–II का उक्त पद, जो अन्यथा 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है, को सचिव, ग्रेड–I और ग्रेड–III के पद पर सीधी भर्ती की आड़ में भरने की अनुमति दी जाती है, जो अन्यथा नियमावली 1984 के नियमों के अनुमत था, उसी को पदोन्नत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। प्रत्यर्थी संख्या–3 को सचिव, ग्रेड–II के रूप में नियुक्त किया जाना नियमावली 1984 के नियमों का उल्लंघन होगा।

44. इसलिए, याचिकाकर्ता ने एक परमादेश रिट की मांग की है, कि चूंकि याचिकाकर्ता, जिसे 14 फरवरी, 2005 को सचिव, ग्रेड–III के रूप में पदोन्नत किया गया था, वह नियमावली 1984 के तहत पांच साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद सचिव, ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अपने अधिकार को परिपक्व कर रहा होगा। लेकिन 14 फरवरी, 2005 के याचिकाकर्ता की यह पदोन्नति, यदि इसी भर्ती वर्ष 2001–2002 से माना जाना है, अर्थात् उस वर्ष जब 2001–02 में रिक्ति सृजित की गई थी, याचिकाकर्ता 01 जुलाई 2007 को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य हो जाएगा, यदि उसे 30 जून, 2002 के आदेश द्वारा अन्य लोगों के साथ पदोन्नत किया गया होता।

45. इसके विपरीत, प्राईवेट प्रत्यर्थी के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक–29 दिसंबर, 2006 के आदेश द्वारा सचिव, ग्रेड–II के पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता की नियुक्ति में किसी भी आदेश को प्राप्त करने या प्रत्यर्थीगण के किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसका कोई योगदान नहीं था, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, सचिव ग्रेड– I के पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त

करने पर, जो कि सचिव ग्रेड–II के पद से वरिष्ठतम पद है, नियम 13 के तहत सचिव ग्रेड–I के पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हता रखने के आधार पर उसे विचार में लिया जा सकता था। लेकिन, चूंकि वह इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सचिव, ग्रेड–III के रूप में शामिल हुआ है इसलिए उसे प्रत्यर्थीगण के द्वारा आदेश दिनांकित–29.12.2006 के माध्यम से लिये गये फैसले के बारे में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या–3 का 02 पदों पर नियुक्त किये जाने का अधिकार अभी भी ध्यान में लिये जाने के लिए संरक्षित है, जो कि विज्ञापन संख्या–01/2003 सीधे भर्ती के माध्यम से सचिव, ग्रेड–I के पद को भरने के लिए है।

46. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुनने के बाद, और विशेष रूप से, लिखित बहस को अवलोकित करने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क की प्रत्यर्थी संख्या–3 के विरूद्ध कोई द्वेष या दोष इंगित नहीं किया जा सकता है और वह बोर्ड के द्वारा सचिव ग्रेड–II की नियुक्ति के लिए की गयी प्रक्रिया का भाग नहीं था।

47. फिर भी बोर्ड के निर्णय को स्वयं अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निहित प्रावधानों के साथ असंगत होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वर्तमान मामले में विसंगति रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है, जबकि प्रत्यर्थीगण दिनांक–29 दिसंबर, 2006 को प्रत्यर्थी संख्या–3 को सचिव ग्रेड–II के पद पर नियुक्त करने के लिए आदेश पारित करने के लिए अग्रसारित हुए थे, उक्त पद ऐसा पद नहीं था जो नियमों के तहत उपलब्ध था, उक्त पद विशेष रूप से पदोन्नति पद होने के कारण सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना था।

48. उस स्थिति में, अधिक से अधिक, प्रतिवादी संख्या–3 को या तो अपनी पूर्व रिट याचिका सख्या–336/2006, पर बल देते हुए अपनी योग्यता के आधार पर सचिव, ग्रेड–I के रूप में नियुक्ति के लिए प्रयास किया जाना चाहिए था, जिस पद के विपरीत उसके द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और स्वेच्छा से अन्तरिम आदेश दिनांकित–23.11.2006 के अनुसरण में दिनांक–22.12.2006 को सचिव, ग्रेड–III के पद का पदभार ग्रहण कर लेने से यह

माना जायेगा कि याचिकाकर्ता ने अपनी इच्छा से सचिव ग्रेड–III के रूप में अपनी नियुक्ति की प्रकृति को स्वीकार कर लिया है, वह पद जो अन्यथा 2013 के नियमों के तहत सीधी भर्ती के रूप में भरने के लिए उपलब्ध था, और उस विज्ञापन के अनुसार भी, जिसके लिए उसने 2003 में आवेदन किया था।

49. उस स्थिति में जबकि प्रत्यर्थी संख्या–3 ने दिनांक–22 दिसंबर, 2006 को सचिव, ग्रेड–III के रूप में नियुक्ति स्वैच्छिक रूप से स्वीकृत की गयी थी, इसका मतलब यह होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 ने सचिव ग्रेड–I के पद पर नियुक्ति के लिए रिट याचिका के गुण–दोष पर अधिनिर्णयन लेने के अपने अधिकारों को त्याग दिया है, जिसके लिए उसके द्वारा विज्ञप्ति संख्या–01/2003 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विशेष रूप से दिनांक–22.02.2007 के अधिनिर्णयन के प्रभाव के कारण जबकि प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा स्वयं उसकी रिट याचिका को वापस लेते हुए खारिज कराया गया था, से यह उपधारित किया जायेगा कि प्रत्यर्थी संख्या–3 सचिव ग्रेड–III के रूप में उसकी नियुक्ति से संतुष्ट था।

50. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि आदेश दिनांकित–29 दिसंबर, 2006 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या–3 को सचिव ग्रेड–II के पद पर नियुक्ति दिये जाने में प्रत्यर्थी संख्या–3 बिल्कुल भी सहायक या जिम्मेदार नहीं था और उक्त निर्णय अन्य प्रत्यर्थीगण के द्वारा उनके विवेक से लिया गया था, इस न्यायालय का मत है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 आदेश दिनांकित–29 दिसंबर, 2006 के पारित करने की प्रक्रिया में बिल्कुल भी सहायक नहीं था, लेकिन फिर भी इस न्यायालय का यह पुष्ट मत है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक–29.12.2006 को लिये गये गलत फैसले को जारी नहीं रखा जा सकता है और एक अवैधता को कायम नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से जब इसका अप्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि याचिकाकर्ता को सचिव, ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति के लिए विचार में नहीं लिया जायेगा, जिसके लिए वह अन्यथा वर्ष 2007 में विचार करने के योग्य होता, अगर उसे वर्ष 2002 में सचिव, ग्रेड–III के रूप में समय पर पदोन्नत किया जाता, या अधिक से अधिक, अगर उसे सचिव, ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति के लिए विचार में लिया जाता, तो 4 फरवरी, 2005 को सचिव, ग्रेड–III के रूप में उसकी पदोन्नति के बाद, वह अन्यथा सचिव ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अपने अधिकार को परिपक्व कर रहा होता। लेकिन प्रत्यर्थीगण के

द्वारा उक्त पद को भरने के कारण, जो अन्यथा विशेष रूप से वर्ष 1984 की नियमावली के नियम 13 के तहत पदोन्नति प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना चाहिए था, जो नियमावली 1984 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि अधिनियम 1964 की धारा 26–X के तहत निर्मित किये गये हैं और जो उत्तराखण्ड अधिनियम, 2011 द्वारा संरक्षित किये गये हैं।

51. प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 की सचिव, ग्रेड–II के रूप में नियुक्ति की कार्यवाही, जो विशेष रूप से एक पदोन्नति पद है, विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण थी, यह एक सच्चाई हो सकती है, जिसे कुछ समय के लिए स्वीकार किया जा सकता है, कि प्रत्यर्थी संख्या–3 ने दिनांक–29 दिसंबर, 2006 का आदेश प्राप्त करने में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन उस स्थिति में, यह न्यायालय इस स्वीकार किए गए तथ्य को खारिज नहीं कर सकता है कि जब प्रत्यर्थी संख्या–3 ने सचिव, ग्रेड–III के रूप में अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली है, तो उसकी सचिव ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए नियमावली 1984 के नियम–13 में निर्धारित अर्हता के पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है और उससे पहले नहीं। प्रत्यर्थी संख्या–3 की सचिव, ग्रेड–III से नियुक्ति की प्रकृति बदलकर सचिव, ग्रेड–II में नियुक्ति किया जाना, वह भी याचिकाकर्ता के सचिव ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के अधिकार की कीमत पर, जिसके लिए याचिकाकर्ता के कथनानुसार, वह भर्ती वर्ष 2007–08 में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य होता।

52. चूंकि इस न्यायालय का मत है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 की सचिव, ग्रेड–II के रूप में नियुक्ति का आदेश नियमावली 1984 के नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में है, क्योंकि वह स्वीकृत रूप से केवल प्रत्यक्ष भर्ती के लिए एक आवेदक था, इसलिए उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से स्वीकार नहीं की जा सकती है, प्रत्यर्थीगण द्वारा की गयी कार्यवाही प्राथमिक रूप से ही प्रत्यक्ष रूप से गलत व कानून के स्पष्ट उल्लंघन में है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या–3 को सचिव ग्रेड–II के पद पर नियुक्त किया जाना, जिसके लिए प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा कभी आवेदन नहीं किया गया था और न ही वह सचिव ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए नियमानुसार पोषण संवर्ग का सदस्य था, याचिकाकर्ता को सचिव, ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए विचार में लिये जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है,

जिसके लिए वह दिनांक–23 जून, 2003 के सरकारी आदेश के प्रावधान अनुसार अपने भर्ती के वर्ष के अनुसार प्रत्यर्थीगण के द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में रिक्त पद के लिए विचार में लिया जा सकता है।

53. इस स्थिति में, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या–3 की आदेश दिनांकित–29 दिसंबर, 2006 द्वारा सचिव, ग्रेड–II के पद पर की गयी नियुक्ति, याचिकाकर्ता के सचिव, ग्रेड–II के लिए पदोन्नति के दावे पर विचार करने के प्रयोजन के लिए इस कारण से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी कि वह पद, जो अन्यथा पदोन्नति के रूप में भरने के लिए उपलब्ध था, अब प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा सचिव, ग्रेड–II के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से भरा गया है।

54. इसके अलावा, प्रत्यर्थीगण को परमादेश की रिट भी जारी की जाती है क्योंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रति शपथ पत्र के अवलोकन पर कोई तर्क नहीं दिखता है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा वर्ष 2001–2002 में उपलब्ध रिक्त पद के विरूद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया प्रतिस्थापित करते हुए सामान्य श्रेणी के उक्त पद को, जो श्री पी0एन0 सक्सैना की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुआ था और जो उक्त समय उपलब्ध था, अन्य समान कर्मचारियों को पदोन्नत करते समय दिनांक–03.06.2002 को विचार में क्यों नहीं लिया गया। उस स्थिति में याचिकाकर्ता भी योग्य होता और खुद को दिनांक–01.07.2007 को सचिव ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के योग्य होता।

55. इस स्थिति में, प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिव, ग्रेड–III के पद पर दिनांक–03.06.2002 से नियुक्ति किये जाने के याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करें, जैसे कि उक्त पद के विरूद्ध अन्य समान रूप से कार्यरत कर्मचारीगण को रखा गया है, जो श्री पी0एन0 सक्सैना की सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुआ है, जिसके विरूद्ध याचिकाकर्ता को बाद में दिनांक–14.02.2005 को विलम्बित स्तर पर बिना किसी तार्किक कारण के पदोन्नति के लिए विचार में लिया गया है।

56. यह आशा और विश्वास किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या–3 की आदेश दिनांकित–29.12.2006 की नियुक्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है, उक्त आदेश को बाधित नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी, यह

स्पष्ट किया जा रहा है कि केवल इस तथ्य के कारण कि प्रत्यर्थी संख्या–3 को 29 दिसंबर, 2006 के आदेश द्वारा सचिव, ग्रेड–II के रूप में नियुक्त किया गया है, वह स्वयं सचिव ग्रेड–II के रूप में पदोन्नति के माध्यम से याचिकाकर्ता के दिनांक–01.07.2007 से पात्रता के दावे में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

57. उपरोक्तानुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)
22.08.2022